न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 पूजा सक्सेना, आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या 281/19 वादपत्र

अनवान प्रकरण

1–पूरण पिता गोपाल खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
2–सीता पुत्री गोपाल खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
3–श्यामु पुत्री गोपाल खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
4–ज्ञानी पुत्री गोपाल खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
5–चांदी पुत्री गोपाल खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
6–पूजा पुत्री गोपाल खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
7–अलोल पत्नि गोपाल खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

———वादीगण

बनाम

1–पाबूड़ी उर्फ बाली उर्फ दलुड़ी पत्नि बालू खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल
2–रामू पत्नि गंगाराम खारोल निवासी कोलीखेड़ा तहसील मांडल
3–गोपाल पिता बालू खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
4– उप पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

———प्रतिवादीगण

(वाद पत्र बाबत– घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 राज0काश्त0अधिनियम)

———0———

प्रार्थना पत्रः– अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 व 02

———0———

उपस्थितः– वकील प्रार्थीगण सं0 01 व 02/प्रतिवादीगण – श्रीमती सुमित्रा सांखला
वकील अप्रार्थीगण/वादीगण–श्री अशोक कुमार श्रोत्रीय एवं श्यामलाल रेगर

———

आदेश दिनांक 7-06-2022

1–प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अपने पिता/पति गोपाल पिता बालू खारोल को वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 03 के रूप मे संयोजित किया है तथा प्रतिवादी संख्या 03 को लापता भी बताया है। कानूनन लापता व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है एवं वाद पोषणीय नहीं होने से खारीज फरमाया जावे।

2–यहकि वादीगण ने अपने वाद में अंकित किया कि उनके पिता/पति गोपाल लाल कहीं चले गए है किन्तु उन्हें जीवित मानकर प्रतिवादी संख्या 03 बनाया है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 03 को विवादित आराजीयात का खातेदार घोषित करने व रिकॉर्ड में

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

अंकित करने का अनुतोष चाहा है। जबकि प्रतिवादी संख्या 03 लापता है ऐसी स्थिति में वाद हेतुक उत्पन्न ही नहीं होने से यह वाद चलने योग्य नहीं है।

3—यहकि वादीगण द्वारा वादपत्र की चरण संख्या1 के उप पेरा ब में वर्णित आराजीयात पुश्तैनी होना अंकित किया है जबकि ये आराजीयात स्वअर्जित है। स्वअर्जित भूमि को विक्रय करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 01 व 02 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारीज फरमाया जावे।

4—अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब में निवेदन किया कि आदेश 7 नियम 11 के तहत किसी को गलत पक्षकार बनाने से वादपत्र खारीज किए जाने का प्रावधान नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि एतराज पेश करने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 03 को है। मजीद कथन में निवेदन किया कि प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अभिलिखित किए हैं वह कानूनी नहीं है। उक्त तथ्य साक्ष्य द्वारा तय किए बिना प्रार्थना पत्र उक्त प्रकरण में पोषणीय नहीं होने से सव्यय खारीज फरमाया जावे।

5—प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 पर सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दावा प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 01 अपनी दादी के विरूद्ध लाए हैं जबकि प्रतिवादी संख्या 03 पिछले 10 वर्ष से लापता होने से पोते पोती को वाद लाने का अधिकार नहीं है एवं वाद कारण भी उत्पन्न नहीं होता है जिससे दावा काबिल खारीज है। वादपत्र की चरण संख्या 1—ब में दर्ज आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 को आवंटन होने से स्वअर्जित सम्पत्ति है जिससे वादीगण का उक्त आराजीयात में कोई हक अधिकार नहीं बनता है। स्वअर्जित सम्पत्ति को एक खातेदार को किसी भी तरह से हस्तान्तरित करने का अधिकार होने से प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति को प्रतिवादी संख्या 02 को जरिये पंजीबद्ध बक्षीसनामा दिनांक 24.09.2019 को हस्तान्तरित कर दी गई। पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्ती का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से भी यह वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 03 जीवित है या मृत वादीगण अपने वाद में यह कहकर आए हैं कि प्रतिवादी पिछले 10 वर्ष से लापता है ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को मृत घोषित कराने के लिए विधिवत सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना था इसलिए भी यह वाद पोषणीय नहीं होने से खारीज फरमाया जावे। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद खारीज फरमाया जावे।

6—बहस में वकील वादीगण/अप्राथीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 के खण्डन में प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी संख्या 01 व 02 के पिता पिछले 10 वर्ष से लापता है ऐसी स्थिति में इनके द्वारा अपनी दादी के विरूद्ध वाद लाए हैं जो विधिसम्मत है। दादी स्व0 बालू पिता नन्दा खारोल की धर्मपत्नि नहीं होकर नातायत पत्नि है तथा बालूजी के घर में अर्थात ससुराल में आने के पश्चात वादपत्र की चरण संख्या 1—ब में वर्णित आराजीयात आवंटन हुई थी और उस समय बालूजी का उक्त आवंटित आराजीयात पर कब्जा था और उनके पश्चात हमारा कब्जा काश्त है जिससे यह आराजीयात पैतृक होने से हमारा हक व अधिकार बनने से यह वाद विधिवत पेश किया जो साक्ष्य एवं सबूत से साबित कराया जाएगा इस स्टेज पर वाद खारीज नहीं किया जा सकता है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मण्डल

7–हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 पर बहस सुनी। बहस के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र व जवाब में अंकित तथ्यों तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों पर मनन किया। जैसाकि वादीगण ने ग्राम बांकली की आ0नं0 1250–1527/746–1528/1253 – 1724/1253 कुल कीता 4 कल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 में प्रतिवादी संख्या 01 दलूड़ी बेवा बालू व गोपाल पिता बालू खारोल के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज है तथा आ0नं0 750 व 1592/752 कीता 2 कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा पाबूड़ी उर्फ बाली पत्नि बालू खारोल के नाम पर खातेदारी से दर्ज है। उक्त आराजीयात को वादीगण ने अपने पिता/पति प्रतिवादी संख्या 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है। जैसाकि वादपत्र की चरण संख्या 5 में यह उल्लेखित है एवं वादपत्र की चरण संख्या 02 में यह भी उल्लेखित है कि प्रतिवादी संख्या 03 गोपाल पिता बालू आज से करीब 10 वर्ष पर्व कही चले गए जिनका आज दिन तक कोई अता पता नहीं होकर लापता है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 को वादवर्णित आराजीयात को खातेदार घोषित कराने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है जबकि प्रतिवादी संख्या 03 लापता है ऐसी स्थिति में वादकारण उत्पन्न होना जो अंकित किया है वह विधि विरूद्ध होकर असत्य है जब वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हो रहे है तो वाद चलने योग्य नहीं है। द्वितीय यह है कि प्रतिवादी संख्या 03 जो कि स्व0 बालू पिता नन्दा खारोल का पुत्र है और वह लापता है अर्थात उसके जीवित/मृत होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है एवं वादीगण के द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेज वाद में प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रतिवादी संख्या 03 को मृत माना जा सके। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में यह वाद चलने योग्य नहीं है। इसके लिए वादीगण विधिवत सिविल न्यायालय में चाराजोही कर सकते है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा स्वयं को आवंटित भूमि को प्रतिवादी संख्या 02 को जरिये पंजीबद्ध बक्षीसनामा(दान) से हस्तान्तरित की है जिसे अवैधानिक करार दिए जाने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतएव–

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी संख्या 01 व 02 अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को सिद्ध कराने में पूर्णतया सफल रहे हैं जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा धारा 88–89 व 188 राज0काश्त0अधिनियम खारीज किया जाता है। डिक्री जारी हो।
आदेश आज दिनांक 7-06-2022 को मेरे द्वारा तैयार कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 पूजा सक्सेना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मण्डल

(आदेश 20 नियम 6 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मांडल, जिला–भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास डॉ0 पूजा सक्सेना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 235/2019 वाद पत्र

अनवान प्रकरण

1–पूरण पिता गोपाल खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
2–सीता पुत्री गोपाल खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
3–श्यामु पुत्री गोपाल खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
4–ज्ञानी पुत्री गोपाल खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
5–चांदी पुत्री गोपाल खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
6–पूजा पुत्री गोपाल खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
7–अलोल पत्नि गोपाल खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

––––वादीगण

बनाम

1–पाबूड़ी उर्फ बाली उर्फ दलुड़ी पत्नि बालू खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल
2–रामू पत्नि गंगाराम खारोल निवासी कोलीखेड़ा तहसील मांडल
3–गोपाल पिता बालू खारोल निवासी बांकली तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
4– उप पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

––––प्रतिवादीगण

(वाद पत्र बाबत– घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 राज0काश्त0अधिनियम)

प्रार्थना पत्रः– अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 व 02

––––0––––

निर्णय दिनांक 07.06.2022

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण श्रीमती सुमित्रा सांखला व वादीगण/अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री अशोककुमार श्रेत्रीय एवं श्यामलाल रेगर उपस्थित। प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण सं0 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88–89व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को भी खारीज किया जाता है।

डिक्री आज दिनांक 07.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(डॉ0पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मण्डल